न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 70/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/126)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. मनजीत सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति मजहबी निवासी 13 एफएफ मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. जगसीर सिह पुत्र काला सिंह उर्फ करतार सिह जाति मजहबी निवासी 13 एफएफ मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. कुलदीप सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति मजहबी निवासी 13 एफएफ मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. अमनदीप कौर पुत्री जगसीर सिह पत्नी गुरलाभ सिंह जाति मजहबी निवासी 25 आर बी, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

तारीख रजू:– 12.05.2023

उपस्थितः 1.श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए</u>

—निर्णय— **दिनांक : 08.08.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.542 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू खानदान की भूमि है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को पारिवारिक सम्पति विभाजन अनुरूप अपने पूर्वजों से प्राप्तशुदा है, जो कि इंतकाल संख्या 286 एवं 188 से प्राप्तशुदा है। राजस्व रिकार्ड में वर्णित समस्त भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी मे आती है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक भूमि होने के कारण, कोपार्सनरी भूमि की श्रेणी में आती है। कोपार्सनरी भूमि में कोपार्सनरी सदस्य का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3, प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक प्रतिनिधि है। इसलिए वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है तथा वह विधिवत प्राप्त करने के अधिकारी है एवं दावा ला पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक स्थिति खराब है। यदि उसके द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द कर देता है तो वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा व वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने हक व हिस्सा की सम्पति से वंचित हो जावेगे। इस कारण वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादाधीन कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा की भूमि की खातेदारी घोषणा करवाकर, अपने नाम भूमि का राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण का अपने जीवन निर्वाह, अपने भरण-पोषण व उज्जवल भविष्य इसी कृषि भूमि पर निर्भर है यदि प्रतिवादी संख्या 1 वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्सा की कृषि भूमि खुर्द-बुर्द कर देता हैं तो वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जीवन बर्वाद हो जावेगा, वादी ने काफी मेहनत करके, उक्त भूमि को उपजाऊ व समतल बनाया है तथा उक्त भूमि पर वादी ही काफी समय से फसल काश्त कर रहा है, वर्तमान में भी भूमि को फसल की बिजान हेतु तैयार किया गया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 को रोकने के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प वादीगण के पास शेष नही रहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.542 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2253 दिनांक 09.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

रिपोर्ट मुताबिक चक 13 एफ एफ, की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 में जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह जाति मजहबी साकिन देह खातेदार के नाम 0.023 हैक्टेयर रकबा तथा जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह उर्फ करतार के नाम 0.519 हैक्टेयर रकबा सहखातेदारान के नाम दर्ज है। चक 13 एफ एफ के इंतकाल संख्या 188 जरिए बैयनामा से जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह उर्फ करतार सिंह को 41 बिस्वे यानि 0.519 हैक्टेयर तथा इंतकाल संख्या 286 विरास्तन से जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह को 0.023 हैक्टेयर रकबा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह के कुलदीप सिंह(पुत्र), अमनदीप कौर(पुत्री), मनजीत सिंह(पुत्र), जगीर कौर(माता) वारिस है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्रम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 की प्रति, नामान्तरण संख्या 78 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरण संख्या 74 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्रम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.542 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 13 एफ एफ, की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 में जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह जाति मजहबी साकिन देह खातेदार के नाम 0.023 हैक्टेयर रकबा तथा जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह उर्फ करतार के नाम 0.519 हैक्टेयर रकबा सहखातेदारान के नाम दर्ज है। चक 13 एफ एफ के इंतकाल संख्या 188 जरिए बैयनामा से जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह उर्फ करतार सिंह को 41 बिस्वे यानि 0.519 हैक्टेयर तथा इंतकाल संख्या 286 विरास्तन से जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह को 0.023 हैक्टेयर रकबा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह के कुलदीप सिंह(पुत्र), अमनदीप कौर(पुत्री), मनजीत सिंह(पुत्र), जगीर कौर(माता) वारिस है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण की वादगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.023 हैक्टेयर भूमि विरास्तन इंतकाल संख्या 286 से प्राप्त हुई है, शेष 0.519 हैक्टेयर भूमि जरिए बैयनामा खरीद की गई है। इसलिए वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.023 हैक्टेयर भूमि में से अपने हक हिस्सा का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अतः वाद पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर आशिंक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 में प्रतिवादी संख्या 1 जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह के नाम दर्ज 0.023 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी मनजीत सिंह को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाव्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलाससुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
मनजीत सिंह बनाम जगसीर सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 70/2023
निर्णय दिनांक :- 08.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कदई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड,** श्री इन्द्राज सेजू **उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/49 में प्रतिवादी संख्या 1 जगसीर सिंह पुत्र काला सिंह के नाम दर्ज 0.023 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी मनजीत सिंह को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 08.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/461 दिनांकः 08.08.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर